कार्यालय अंचल अधिकारी,चास (बोकारो)।

भू–मापी अभिलेख संख्या 72 / 2017–18

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3
30/12/17	**अभिलेख उपस्थापित**। अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है, कि आपके आदेशानुसार दिनांक–18.10.2017 को मौजा–कालापत्थर के खाता नं0–101, प्लॉट नं0–2405 के अन्तर्गत रकवा–0.02 ए0 भूमि की मापी करने स्थल पर गया। स्थल पर कार्तिक राय पिता–जवाहर राय ने खाता नं0–101, प्लॉट सं0–2405, रकवा–01.38 ए0 भूमि का खतियान दिखाया विपक्षी कानन रजक, पिता–जेदु रजक ने दलील सं0–4893, दिनांक 03.07.2008 खाता सं0–101, प्लॉट सं0–2405, रकवा–0.02 ए0 एवं दलील सं0–4635, दिनांक 07.10.1988 खाता सं0–101, प्लॉट सं0–2405, रकवा–0.025 ए0 तथा आवेदक के चाचा अनाथ बंधु राय द्वारा प्राप्त दानपत्र दिनांक 27.01.2008 खाता सं0–101, प्लॉट सं0–2405, रकवा–0.03 ए0 भूमि का कागजात दिखाया। भूमि मापी के क्रम में चास(मु0) थाना प्रभारी उपयुक्त बल के साथ स्थल पर उपस्थित थे। भूमि की मापी करने पर पाया कि 0.025 ए0 भूमि में कानन रजक का पूर्व से पक्का मकान अवस्थित है एवं 0.01 ए0 भूमि में नया मकान बनाने हेतु पक्का दिवाल खड़ा कर सेंट्रिंग किया गयाा है। स्थल पर आवेदक कार्तिक राय, कानन रजक का नव निर्मित अधूरा मकान रकवा–0.01 ए0 भूमि में आपत्ति कर रहे हैं। केवाला के अनुसार द्वितीय पक्ष कानन रजक, पिता–जेदु रजक को 0.02 ए0 भूमि प्राप्त है तथा दानपत्र(नोटरी पब्लिक) के दानपत्र सं0–175, दिनांक 27.01.2008 से 0.03 ए0 भूमि प्राप्त है। यद्यपि दानपत्र से प्राप्त भूमि का जबतक रेजिस्टार द्वारा पंजीकृत नही होता है तबतक दानपत्र से स्वामित्व का निर्धारण नही किया जा सकता है। अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं ट्रेस नक्शा के आधार पर अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, चास।	